



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक /Dispatch Number : 6100013682/FNOC/COL/2024/7799
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 04, 2024 - जावक की तिथि / Dispatch Date : 07- Mar -24
आवेदक का नाम / LOI धारक का नाम : **MATA RISAL KAUR EDUCATIONAL & SOCIAL WELFARE**
Applicant Name /LOI Holder : **SOCIETY**
आवेदक का पता / Applicant Address : **MATA RISAL KAUR EDUCATIONAL & SOCIAL WELFARE**
SOCIETY KH NO: 137,138,139,140/12 VILLAGE SHYAMPUR
DIST SEHORE
अनापत्तिप्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : **Fire Plan Approval**
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : **Educational Building/ शैक्षणिक भवन**
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 10 (मीटर / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल /Plot / Building Area : 1 एकड़
सम्पत्ति का पता / Property Address : **M.R.C COLLEGE OF EDUCATION**
KH NO: 137,138,139,140/12 VILLAGE SHYAMPUR DIST
SEHORE DISTRICT RURAL AREA SEHORE
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित/ :
Approved by Fire Authority
टिप्पणी/ Remarks:

विषय:- माता रिसाल कौर एज्यूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी निवासी ग्राम श्यामपुर तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म.प्र. स्थल का पता (जहाँ इकाई का संचालन होगा) एम.आर.सी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशनल सर्वे नंबर 137,138,139, 140/12 ग्राम श्यामपुर तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म.प्र. के **01 एकड़ एवं 10 मीटर ऊँचे शैक्षणिक भवन** हेतु **"Fire Plan Approval Certificate अनापत्ति प्रमाण पत्र"** प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भ: आपका रिक्वेस्ट नम्बर **6100013682** .

विषयान्तर्गत माता रिसाल कौर एज्यूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी निवासी ग्राम श्यामपुर तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म.प्र. स्थल का पता (जहाँ इकाई का संचालन होगा) एम.आर.सी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशनल सर्वे नंबर 137,138,139, 140/12 ग्राम श्यामपुर तहसील श्यामपुर जिला सीहोर म.प्र. के **01 एकड़ एवं 10 मीटर ऊँचे शैक्षणिक भवन** हेतु **"Fire Plan Approval Certificate अनापत्ति प्रमाण पत्र"** प्रदाय हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) कराकर प्रस्तुत किया गया है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक /Dispatch Number : 6100013682/FNOC/COL/2024/7799
आवेदन की तिथि /Application Date : Mar 04, 2024 - जावक की तिथि / Dispatch Date : 07- Mar -24
आवेदक का नाम /LOI धारक का नाम : **MATA RISAL KAUR EDUCATIONAL & SOCIAL WELFARE**
Applicant Name /LOI Holder **SOCIETY**

परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य एवं आवश्यक होगा:-

1. निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा:-

1	Access.
2	Wet Riser
3	Down Comer
4	Hose Reel
5	Automatic Sprinkler System
6	Yard Hydrant
7	U.G. Tank With Draw off Connection
8	Terrace Tanks.
9	Fire Pump
10	Terrace Pump
11	First Aid Fire Fighting Appliances
12	Pressurization System
13	Auto Detection System
14	Manual Operated Electrical Fire Alarm system
15	P.A. System with talk back facility.
16	Emergency Light.
17	Auto D.G. Set
18	Illuminated Exit Sign.
19	Means Of Escape.
20	Compartmentation
21	MCB/ELCB
22	Firman Switch in Lift
23	Hose Boxes With Delivery Hose and Branch
24	Refuge Area.



कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर म.प्र.
Office Of District Collector, District Sehore M.P.
अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक /Dispatch Number : 6100013682/FNOC/COL/2024/7799
आवेदन की तिथि /Application Date : Mar 04, 2024 - जावक की तिथि / Dispatch Date : 07- Mar -24
आवेदक का नाम /LOI धारक का नाम : **MATA RISAL KAUR EDUCATIONAL & SOCIAL WELFARE SOCIETY**
Applicant Name /LOI Holder

- उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई. एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृत से भिन्न निर्माण/ उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।
- फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
- आवेदक को फायर प्लान अप्रूवल एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि शमन प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरांत वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत 'फायर प्लान अप्रूवल अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

कलेक्टर
Collector
जिला सीहोर मध्यप्रदेश
District Sehore, Madhay Pradesh